रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 1990/पौष 29, 1911
No. 34] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 1990/PAUSA 29, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1990

का.आ. 55(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्थापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से अशक्त किया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/3/88 सी.शु.- 8 तारीख 29-8-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री जूलियो एम.सी. कोरिया वेन्निम, टोलेकेन्टा, सालसेट गोवा को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, आगुडा, गोआ में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थों के छिपाव, लाने लेजाने तथा भारत से इनके निर्यात का षडयंत्र करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पणजी के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/3/88/सी.शु.-8]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 19th January, 1990

S.O. 55(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit

Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|3|88-Cus. VIII dated 29-8-88 under the said sub-section directing that Shri Julio M. C. Correia, Velim, Tolle Canto, Salcette, Goa be detained and kept in custody in the Central Prison, Aguada, Goa with a view to preventing him from engaging in the transportation, concealment and conspiring in the export from India of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Panaji within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|3|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 56(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा. सं. 773/4/88 सी.शु.-8 तारीख 29-8-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री लीओफ डी कोस्टा, वेलिम, केलिन्टो सालसेट, गोवा को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, आगुडा, गोवा में अभिरक्षा में रक्षा रखा जाए ताकि उसे व्यापक औषधि तथा मनःप्रभावी पदार्थों को लाने ले जाने तथा भारत से इनके निर्यात का षड्यंत्र करने से रोका जा सके, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, पणजी के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/4/88 सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 56(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|4|88-Cus. VIII dated 29-8-88 under the said sub-section directing that Shri Leof D'Costa, Velim, Tolle Canto, Salcette, Goa be detained and kept in custody in the Central Prison, Aguada, Goa with a view to preventing him from engaging in the transportation and conspiring in the export from India of Narcotic Drugs and Psychotropic Substances; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Inspector General of Police, Panaji within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|4|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 57(अ).—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/9/88 सी.शु.-8 तारीख 6-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री सुरिन्दर सिंह जग्गी उर्फ बिल्ला, निवासी सी-1/209 जनकपुरी नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने और बिक्री करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/9/88 सी.शु-8]

ORDER

S.O. 57(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|9|88-Cus. VIII dated 6-7-88 under the said sub-section directing that Shri Surinder Singh Jaggi @Billa, resident of C-I|208, Janakpuri, New Delhi detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in possession and sale of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773/9/88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 58(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/32/88 सी.शु. 8 तारीख 6-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री रघुनाथ गुप्ता, निवासी (1) चौक धर्मशाला, मुजफ्फरपुर (2) ग्राम चैनपुर स्टेशन के समीप, बरगानिया को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को दुष्प्रेरित करने, लाने ले जाने तथा अन्तर्राज्यीय आयात करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके ;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/32/88 सी. शु. 8]

ORDER

S.O. 58(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773/32/88-Cus. VIII dated 6-7-88 under the said sub-section directing that Shri Raghunath Gupta, resident of (1) Chowk Dharamshala, Muzaffarpur (2) Village Chainpur, Near Chainpur Station, Bergania be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting, transportation and import inter-state of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773/32/88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 59(अ) :—भारत सरकार संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/43/88 सी. शु. 8 तारीख 6-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री पूरन सिंह, निवासी 1213 शोरा कोठी, सब्जीमंडी, दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि के भारत से निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 773/43/88 सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 59(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773/43/88-Cus. VIII dated 6-7-88 under the said sub-section directing that Shri Pooran Singh, resident of 1213, Shora Kothi, Subzimandi, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the export from India of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773/43/88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 60(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा.सं. 773/44/88 सी. शु.

8 तारीख 6-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री प्रताप, निवासी सी-7/2, राणा प्रताप बाग, दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि के भारत से निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/44/88 सी.शु. 8]

## ORDER

S.O. 60(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|44|88-Cus. VIII dated 6-7-88 under the said sub-section directing that Shri Pratap, resident of C-7|2, Rana Pratap Bagh, Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from abetting the export from India of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exericse of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|44|88-Cus. VIII]

### आदेश

का.आ. 61(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/79/88 सी.शु. 8, तारीख 7-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री एस. एन्टन, पुत्र सेबास्टियन पिल्ले निवासी प्लाट सं. 111, साउथ जगन्नाथन नगर, विलीवक्कम, मद्रास-19 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि बिक्री का काम करने से रोका जा सके, और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/79/88 सी.शु. 8]

## ORDER

S.O. 61(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|79|88-Cus. VIII dated 7-7-88 under the said sub-section directing that Shri Anton, S|o Sebastian Pillai, resident of Plot No. 111, South Jaganathan Nagar, Villivakkam, Madras-19 be detained and kept in custody in the Central Prison, Madras with a view to preventing him from engaging in the sale of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Madras within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|79|88-Cus. VIII]

### आदेश

का.आ. 62(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/86/88 सी.शु. 8 दिनांक 8-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री चार्ल्स ओकेचुक्वू चुक्वू नाइजीरियन राष्ट्रिक मार्फत कारागार अधीक्षक, केंद्रीय बम्बई कारागार, आरथर रोड, बम्बई को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने, बिक्री, खरीद तथा भारत से इनके निर्यात का षड्यंत्र करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके!

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का

प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.स. 773/86/88 सी.शु. 8]

S.O. 62 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773/86/88-Cus. VIII dated 8-7-88 under the said sub-section directing that Shri Charles Okechukwu Chukwu, Nigerian National, C/o Superintendent of Prison, Bombay Central Prison, Arthur Road, Bombay be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in the possession, sale, purchase and conspiring to import into India of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773/86/88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 63(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 773/125/88 सी.शु. 8 तारीख 9-7-1988 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री बलदेव राज उर्फ बलदेव सिंह, निवासी डब्ल्यू जेड-83, प्लाट नं. 92, विष्णु गार्डन, नई दिल्ली को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, तिहाड़, नई दिल्ली में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने, छिपाने और भारत से इनके निर्यात के लिए दुष्प्रेरित करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस आयुक्त, दिल्ली के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 773/125/88सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 63 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773/125/88-Cus. VIII dated 9-7-88 under the said sub-section directing that Shri Baldev Raj @ Baldev Singh, resident of WZ-83, Plot No. 92, Vishnu Garden, New Delhi be detained and kept in custody in the Central Jail, Tihar, New Delhi with a view to preventing him from engaging in the possession, concealment and abetting the export from India of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Commissioner of Police, Delhi within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773/125/88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 64(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/143/88 सी.शु. 8 दिनांक 27-7-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री राम सिंह सुपुत्र स्व. जगदीश सिंह निवासी जोगहनी तिकुलिया बस्ती, डाखखाना जोगहनी, जिला पुर्निया, बिहार को निरुद्ध कर लिया जाए और प्रेसीडेंसी कारागार, अलीपुर, कलकत्ता में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को लाने, ले जाने का काम करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, कलकत्ता के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/143/88 सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 64 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic

Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|143|88-Cus. VIII dated 27-7-88 under the said sub-section directing that Shri Ram Singh, S|o Late Jagdish Singh, resident of Jogbani Tikulia Basti, P.O. Jogbani, District Purnea, Bihar be detained and kept in custody in the Presidency Jail, Alipore, Calcutta with a view to preventing him from engaging in the transportation of Narcotic Drugs ; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Calcutta within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|143|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 65(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1978 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा. सं. 773/155/88 सी. शु. 8 तारीख 29-8-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री अब्दुल वारिस खान पुत्र श्री शकील मियां खान, निवासी 8, मोटा महल, बोमांजी पाटिल स्ट्रीट, वैडन रोड बम्बई-400036, को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने तथा बिक्री एवं खरीद करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बम्बई के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/155/88 सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 65 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|155|88-Cus. VIII dated 29-8-88 under the said sub-section directing that Shri Abdul Wari Khan, S|o Shri Shakeel Miyan Khan, resident of 8 Mota Mahal, Bomanji Patil Street, Waiden Road, Bombay-36 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in the possession, sale and purchase of Narcotic Drugs ; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the official Gazette.

[F. No. 773|155|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 66(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अध्यादेश, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/156/-सी.शु. 8, दिनांक 29-8-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री मीर हातिम खान, निवासी फातिमा मंजिल दूसरा तल, शायदा मार्ग डोंगरी, बम्बई-400009 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि की बिक्री व खरीद का काम करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बम्बई, के समक्ष हाजिर हो।

[फा.सं. 773/156/88 सी.शु. 8]

ORDER

S.O. 66 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Ordinance, 1988 issued order F. No. 773|156|88-Cus. VIII dated 29-8-88 under the said sub-section directing that Shri Meer Hatim Khan, resident of Fatema Manzil, 2nd floor, Shayda Marg, Dongri, Bombay-9 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in sale and purchase of Narcotic Drugs ; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is

concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|156|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 67(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार, निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है उक्त उपधारा के अधीन फा.सं. 773/170/88 सी.शु.-8 तारीख 14-9-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री शेख मोहम्मद जाविद निवासी सी-27 ऊषा सदन, कोलाबा, बम्बई-400005, को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार बम्बई, में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने लाने ले जाने तथा बिक्री का काम करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त व्यक्ति फरार हो गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बम्बई, के समक्ष हाजिर हो।

[फा० सं 773/170/88 सी० शु 8]

ORDER

S.O. 67 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|170|88-Cus. VIII dated 14-9-88 under the said sub-section directing that Shri Shaikh Mohd. Javid, resident of C-27, Usha Sadan, Colaba, Bombay-5 be detained and kept in custody in the Central Prison, Bombay with a view to preventing him from engaging in the possession, transportation and sale of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|170|88-Cus. VIII]

आदेश

का.आ. 68(अ) :—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फाईल. सं० 773/172/88 सी.शु. 8 तारीख 20-9-88 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्री कु. मेरी पूनेती काण्डासामी पुत्री श्री कांडासामी, मार्फत श्री नारेन्द्रन, 20, बाजार स्ट्रीट, वीरुगाम्बाक्कम, मद्रास-92 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, मद्रास में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने लाने ले जाने तथा भारत से इनके निर्यात का षडयंत्र करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा रही है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम, की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, मद्रास के समक्ष हाजिर हो।

[फा. सं. 773/172/88 सी. शु. 8]

ORDER

S.O. 68 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|172|88-Cus. VIII dated 20-9-88 under the said sub-section directing that Miss Mary Poomany Kandasamy, D|o Shri Kandasamy, C|o Shri Narendran, 20 Bazaar Street, Virugambakkam, Madras-92 be detained and kept in custody in the Central Jail, Madras with a view to preventing her from engaging in the possession, transportation and conspiring in the export from India of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Madras within 10 days of the publication of this orler in the Official Gazette.

[F. No. 773|172|88-Cus. VIII]

आदेश

का० आ० 69(अ)—भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने, जिसे स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विशेष रूप से सशक्त किया गया है, उक्त उपधारा के अधीन आदेश फा० सं० 773/188/88-सी०शु० 8 तारीख 12-10-1988 यह निदेश देते हुए जारी किया गया था कि श्रीमती मुमताज शाहजहां शिराजी, निवासी 149, अमीरबाई कम्पाउण्ड आफ मिल्ट्री कैम्प, मस्जिद सांताक्रुज (इस्ट), बम्बई-400055 को निरुद्ध कर लिया जाए और केन्द्रीय कारागार, बम्बई में अभिरक्षा में रखा जाए ताकि उसे स्वापक औषधि को रखने तथा छिपाने का कार्य करने से रोका जा सके; और

2. केन्द्रीय सरकार के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पूर्वोक्त महिला फरार हो गई है या अपने को छिपा रही है जिससे उक्त आदेश का निष्पादन नहीं हो सके;

3. अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 8 उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि पूर्वोक्त व्यक्ति, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन के 10 दिन के भीतर पुलिस महानिदेशक, बम्बई के समक्ष हाजिर हो ।

[फा० सं० 773/188/88-सी.शु. 8]

ए० के० राय, अवर सचिव

ORDER

S.O. 69 (E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 issued order F. No. 773|188|88-Cus. VIII dated 12-10-88 under the said sub-section directing that Shrimati Mumtaz Shahjahan Shirazi, resident of 149, Amirbi Compound, Opp. Military Camp, Masjid, Santacruz (E), Bombay-55 be detained and kept in custory in the Central Prison, Bombay with a view to preventing her from engaging in the possession and concealment of Narcotic Drugs; and

2. Whereas the Central Government has reason to believe that the aforesaid person has absconded or is concealing himself so that the order cannot be executed ;

3. Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Bombay within 10 days of the publication of this order in the Official Gazette.

[F. No. 773|188|88-Cus. VIII]

A. K. ROY, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. 1990